मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. /22/वि–9/आर.जी.एम./2005 भोपाल, दिनांक : /10/2005

आदेश क्र. 22 / जलग्रहण क्षेत्र विकास

प्रति,

1. **कलेक्टर (समस्त)**
   मध्यप्रदेश
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत – समस्त (म.प्र.)
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत (समस्त)
4. **परियोजना अधिकारी,**
   मिली वाटरशेड (समस्त

विषय : जलग्रहण परियोजनाओं एवं जल संग्रहण के क्रियान्वयन के लिए जिले में संस्थागत ढाँचे के संबंध में।

1. पृष्ठभूमि :

1.1 यद्यपि जलग्रहण परियोजनाओं की रणनीति जनसहभागिता केन्द्रित तथा कार्यप्रणाली सामुदाय संगठन आधारित है, जिसमें गतिविधियों की आयोजना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का दायित्व ग्रामीण समुदाय को सौंपा गया है, परन्तु इनके क्रियान्वयन के लिए समुदाय की क्षमता इतनी विकसित नहीं है, कि उनके स्वयं के प्रयासों से इन परियोजनाओं का परिणाममूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। परियोजनाओं के अंतर्गत गाँव के समग्र विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्ययोजना के निर्माण, गतिविधियों का चयन, निर्माण, रखरखाव एवं विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय करने के लिए प्रत्येक चरण पर समुदाय को सहयोग व समन्वय प्रदाय करने की आवयश्कता है।

1.2 वर्तमान में ग्रामीण समुदाय को जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदाय करने का दायित्व मिली वाटरशेड स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन दल एवं जिला स्तर पर जलग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। परन्तु जलग्रहण प्रकोष्ठ एवं परियोजना क्रियान्वयन दल की वर्तमान संरचना एवं संस्थागत ढाँचा के अंतर्गत सभी तकनीकी, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के विकास हेतु विशिष्ट प्रयास करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह आवयक हो जाता है कि जलग्रहण प्रकोष्ठ का पुनर्गठन कर इसका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाये, कि जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत जल प्रबंधन एवं संरक्षण, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, उद्यानिकी विकास, चारागाह

विकास, वृक्षारोपण, गरीबों के लिए आर्थिक गतिविधियों का क्रियान्वयन तथा सामाजिक पहलुओं का सार्थक विकास किया जा सके।

1.3 उपरोक्तानुसार जलग्रहण परियोजनाओं के आयोजना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार जिला एवं परियोजना क्रियान्वयन दल के स्तर पर संस्थागत ढाँचा विकसित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. जिला स्तर पर जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ (Watershed & Water Conservation Cell) की संरचना, भूमिका, दायित्व एवं कार्यप्रणाली :

2.1 भूमिका :

वर्तमान में जिला स्तर पर जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत समेकित विकास की अवधारणा के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट सहयोग, सलाह व मार्गदर्शन प्रदाय करने का दायित्व जलग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। परन्तु जलग्रहण प्रकोष्ठ की वर्तमान संरचना के अंतर्गत सभी तकनीकी, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के विकास हेतु विशिष्ट प्रयास करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएँ जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, जिला गरीबी हटाओ योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं आदि के तहत जल संरक्षण व संवर्धन तथा सूखे से लड़ने की पर्याप्त क्षमता के विकास की गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। जलग्रहण प्रकोष्ठ इन योजनाओं के तहत भी विभिन्न तकनीकी तथा सामाजिक पहलुओं पर सलाह, सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदाय कर सकते हैं। इसलिए यह आवयक हो जाता है कि जलग्रहण प्रकोष्ठ का पुनर्गठन कर इसका स्वरूप इस प्रकार विकसित किया जाए कि जिला स्तर पर यह एक कोर ग्रुप (core group) के रूप में विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनाओं एवं जलग्रहण परियोजना के नियोजन, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदाय कर सके।

उपरोक्त के अनुक्रम में जलग्रहण परियोजनाओं एवं अन्य ग्रामीण विकास की योजनाएँ, जिनमें जल संरक्षण व संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, उनके सर्वग्राही एवं एकात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विविध तकनीकी सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के विकास के लिए कृपया जिला स्तरीय जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ का गठन, संरचना, भूमिका एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार सुनिश्चित करें।

2.2 जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई की संरचना, चयन एवं दायित्व

2.2.1 जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई की संरचना : जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई का गठन जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ समन्वयक (Watershed & Water Conservation Cell Coordinator) के नेतृत्व में किया जायेगा तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विषयों पर सहयोग व मार्गदर्शन देने के लिए इस दल में निम्न विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा :

- जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ समन्वयक (Watershed & Water Conservation Cell Co-ordinator)
- कृषि एवं उद्यानिकी समन्वयक (Agriculture & Horticulture Co-ordinator)
- पशुपालन समन्वयक (Livestock Co-ordinator)
- सामुदायिक संगठन एवं आजीविका समन्वयक (Community Org. & Livelihood Co-ordinator)

- प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास समन्वयक (Training & Capacity Building Co-ordinator)
- अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण समन्वयक (Monitoring, Evaluation & Documentation Co-ordinator)

2.2.2 जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई के पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया एवं पदाधिकारियों के दायित्व

इस इकाई का गठन सभी विषय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए इस प्रकार किया जायेगा, जिससे जलग्रहण एवं जल संग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत सर्वग्राही एवं सर्वांणीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि जिला स्तर पर जल संसाधन, कृषि, वन, आदिवासी, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों के अधिकारियों को इस प्रकोष्ठ में शामिल किया जाये, जिससे कि उनकी क्षमता एवं विषय–वस्तु में विशिष्ट जानकारी से जलग्रहण एवं जल संग्रहण परियोजनाओं को परिणाममूलक ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। इसके अलावा यथासम्भव इस इकाई में कम से कम 01 महिला पदाधिकारी को भी अवश्य शामिल किया जाना है।

2.2.2.1 जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ एवं तकनीकी समन्वयक (Watershed Cell & Technical Co-ordinator):

चयन की प्रक्रिया

- इस पद पर जल संसाधन, कृषि (मृदा संरक्षण) सिंचाई, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा वन विभाग के द्वितीय/कार्यपालन तृतीय (वरिष्ठ) श्रेणी अधिकारियों को पुनर्विनियोजन (redeployment)[1] द्वारा लिया जायेगा।
- अथवा इस पद पर इरमा, आई.आई.एफ.एम., टी.आई.एस.एस., आदि संस्थानों के छात्रों को कैम्पस सलेक्शन के माध्यम से अथवा कपार्ट (CAPART) द्वारा नियुक्त यंग प्रोफेशनल्स (Young Professionals) को भी इस पद पर संविदा पर कार्य कराया जा सकता है।

दायित्व

- इकाई को नेतृत्व एवं दिशा देना तथा समस्त जलग्रहण प्रकोष्ठ सदस्यों एवं संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना
- जलग्रहण परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन
- गतिविधि सारणी का विकास एवं क्रियान्वयन
- तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग एवं मार्गदर्शन
- वित्तीय प्रबंधन
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

2.2.2.2 कृषि एवं उद्यानिकी समन्वयक (Agriculture & Horticulture Co-ordinator)

चयन की प्रक्रिया

- इस पद पर कृषि, उद्यानिकी, वन एवं अन्य विभागों के द्वितीय/कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारियों को पुनर्विनियोजन (redeployment)[1] द्वारा लिया जायेगा।

दायित्व

[1] किसी पद पर पुनर्विनियोजन (redeployment) का अधिकार संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर को प्राप्त है। अतः इन पदों पर पुनर्विनियोजन (redeployment) संभाग आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया जायेगा।

- फसल प्रबंधन एवं उन्नत कृषि तकनीक के संबंध में सहयोग एवं मार्गदर्शन
- उपलब्ध जल संसाधन के परिप्रेक्ष्य में फसल चयन, फसल चक्र में परिवर्तन, उन्नत बीज, जैविक खेती के संबंध में सहयोग व मार्गदर्शन
- उद्यानिकी विकास, फलोद्यान, कृषि वानिकी, चारागाह विकास, जैट्रोफा विकास के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन
- वृक्षारोपण एवं नर्सरी विकास के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

2.2.2.3 पशुपालन समन्वयक (Livestock Co-ordinator)

चयन की प्रक्रिया

- इस पद पर पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य विभागों के द्वितीय/कार्यपालन तृतीय श्रेणी अधिकारियों को पुनर्विनियोजन (redeployment)[1] द्वारा लिया जायेगा।

दायित्व

- पशुपालन गतिविधियाँ जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन के संबंध में सहयोग व मार्गदर्शन
- नस्ल सुधार एवं उचित नस्ल के चयन के संबंध में सहयोग एवं मार्गदर्शन
- पशु चिकित्सा के संबंध में सहयोग एवं मार्गदर्शन
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

2.2.2.4 सामुदायिक संगठन एवं आजीविका समन्वयक (Community Organisation & Livelihood Co-ordinator)

चयन की प्रक्रिया

- इस पद पर महिला एवं बाल विकास, आदिवासी कल्याण, वन, ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के द्वितीय/कार्यपालन तृतीय श्रेणी अधिकारियों को पुनर्विनियोजन (redeployment)[1] द्वारा लिया जायेगा।

दायित्व

- परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उचित संस्थागत व्यवस्था एवं सामुदायिक संगठन सुनिश्चित करना
- स्थानीय परिस्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर महिलाओं एवं निर्धन परिवारों के लिए आजीविका के विभिन्न साधनों के सजृन के संबंध में मार्गदर्शन व सहयोग
- ट्रेनिंग कैलेण्डर का निर्माण कर समस्त परियोजना क्रियान्वयन दल के सदस्यों एवं ग्राम स्तरीय समिति के पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा सेमीनार का आयोजन
- स्व–सहायता समूहों को तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदाय करना
- बैंक एवं अन्य योजनाओं से समन्वय स्थापित करना
- स्व–सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु संघ की स्थापना
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

2.2.2.5 प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास समन्वयक (Training & Capacity Building Co-ordinator)

चयन की प्रक्रिया

- इस पद पर महिला एवं बाल विकास, वन, आदिवासी कल्याण, ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के द्वितीय/कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारियों को पुनर्विनियोजन (redeployment)[1] द्वारा लिया जायेगा।

दायित्व

- परियोजना के अंतर्गत पदाधिकारियों एवं ग्राम स्तरीय सामुदायिक संगठन के सशक्तिकरण एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण आयोजन करना
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

2.2.2.6 अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण समन्वयक (Monitoring, Evaluation & Documentation Co-ordinator)

चयन की प्रक्रिया

- इस पद पर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, ग्रामीण विकास, वन एवं अन्य विभागों के द्वितीय/कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारियों को पुनर्विनियोजन (redeployment) पर लिया जायेगा।

दायित्व

- निर्धारित प्रपत्रों के अनुरूप पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति का अंकेक्षण एवं अनुश्रवण
- परियोजनापूर्व एवं वर्षवार निरख–परख गतिविधियों का क्रियान्वयन
- परियोजनाओं के अंतर्गत वर्षवार, मध्यान्ह एवं अंतिम मूल्यांकन कराना
- कार्ययोजना के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्त प्रभावों एवं प्रगति का आकलन
- परियोजना के अंतर्गत विशिष्ट प्रयासों, प्रभावों एवं सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

2.3 जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई हेतु कार्यालय की स्थापना

- जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई के कार्यालय की स्थापना हेतु जिला पंचायत कार्यालय अथवा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय भवन में लगभग 500 वर्ग फीट जगह जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- कार्यालय में जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई के पदाधिकारियों/समन्वयकों के लिए फर्नीचर एवं कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।
- इस कार्यालय में जलग्रहण प्रकोष्ठ समन्वयक की अध्यक्षता में अन्य सभी समन्वयक एक साथ बैठकर संगठित रूप से कार्य करेंगे।
- जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई के पदाधिकारियों के सहयोग हेतु जिला पंचायत द्वारा तृतीय श्रेणी के 02 सहकर्मी, 02 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 01 लेखापाल प्रदाय किये जायेंगे।
- जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई एक कोर ग्रुप के रूप में जलग्रहण योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, जिला गरीबी हटाओ

योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं आदि के तहत जल संरक्षण व संवर्धन के संदर्भ में सलाह, सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदाय करेगी। **अतः जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई के कार्यालय की स्थापना एवं संचालन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति इन योजनाओं के जिला स्तर पर उपलब्ध प्रशासकीय एवं नैमित्तिक व्यय (Administrative & Contingency funds) हेतु उपलब्ध राशि अथवा डी.आर.डी.ए. प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।**

2.4 जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई की कार्यप्रणाली

- **बैठक –** जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ की प्रत्येक सप्ताह (सप्ताह का पहला कार्य दिवस) में एक बार बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इस बैठक में अगले सप्ताह की योजना पर चर्चा और विमर्श किया जायेगा तथा जो मामले विभिन्न पदाधिकारियों के पास लंबित हैं, उनके ऊपर चर्चा कर उन्हें निपटाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- जलग्रहण प्रकोष्ठ के अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिन गांव जायेंगे एवं अपने से तथा अपने दायित्व से संबंधित विषयों पर परियोजना क्रियान्वयन दल, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय वाटरशेड समिति / विस्तारित पानी रोको समिति को सलाह, सहयोग एवं मार्गदर्शन देंगे।

3. **जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ से संबद्ध सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई (Partner NGOs)** : जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ के अंतर्गत जिला स्तरीय सहयोगी स्वयंसेवी संगठनों की इकाई (Partner NGOs Panel) का गठन किया जायेगा। यह दल जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई को सलाह, सहयोग एवं मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी।

3.1 संबद्ध सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई (Partner NGOs) का गठन एवं संरचना

- इस दल का गठन जिले में जल संरक्षण व संवर्धन, प्राकृतिक संसाधनों के विकास, ग्रामीण आजीविका तथा गरीबों एवं महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रहे 3–4 अशासकीय संस्थाओं, एजेन्सियों तथा विशेषज्ञों को शामिल कर किया जायेगा।

3.2 सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई (Partner NGOs) हेतु एन.जी.ओ. के लिए चयन के मानदण्ड :

- सहयोगी दल हेतु गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के चयन के लिए सर्वप्रथम जिले में कार्यरत सभी इच्छुक एन.जी.ओ. से इस संबंध में आवेदन बुलाये जाए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर एन.जी.ओ. के चयन के लिए निम्न मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :
  - ✓ ऐसे एन.जी.ओ. से ही आवेदन आमंत्रित किया जाना है, जो प्राकृतिक संसाधनों एवं जलग्रहण प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उत्थान आदि के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखते हों।
  - ✓ इच्छुक एन.जी.ओ. के पूर्व इतिहास को ज्ञात किया जाए। इस इतिहास में संस्था की कार्यप्रणाली, सामर्थ्य एवं पूर्व में सम्पादित कार्यों का समाज पर प्रभाव आदि का आकलन किया जाए।
  - ✓ इच्छुक एन.जी.ओ. का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी, मध्यप्रदेश से कम से कम तीन वर्ष पूर्व का होना आवश्यक है।
  - ✓ इच्छुक एन.जी.ओ. द्वारा आवेदन के साथ विगत तीन वर्षों के ऑडिट रिपोर्ट एवं उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में सम्पादित कार्यों का विवरण संलग्न किया जाए।

- ✓ इच्छुक एन.जी.ओ. अपने सक्रिय सदस्यों/विशेषज्ञों की सूची आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। एन.जी.ओ. के सदस्यों/विशेषज्ञों का अनुभव जल संरक्षण एवं संवर्धन, सामुदायिक संगठन एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में होना चाहिए तथा जिला पंचायत यह आश्वस्त करेगी कि सहयोग दल में शामिल होने की स्थिति में संस्था जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित विशेषज्ञ की देखरेख में गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेगी।

- इच्छुक एन.जी.ओ. के पूर्व इतिहास, लेखा एवं ऑडिट एवं पंजीयन आदि का परीक्षण करने के उपरांत सहयोग दल हेतु एन.जी.ओ. का चयन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

3.3 संबद्ध सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई (Partner NGOs) की भूमिका

- इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य कलेक्टर, जिला पंचायत एवं जलग्रहण प्रकोष्ठ को विभिन्न तकनीकी सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सलाह, सहयोग व मार्गदर्शन देना होगा।
- सम्बद्ध सहयोगी स्वयंसेवी संगठन (Partner NGOs) जिला स्तरीय जलग्रहण सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के पदेन सदस्य (Ex-officio Member) होंगे।
- **कार्ययोजना का निर्माण** : सहयोगी दल में शामिल गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से कार्ययोजना के निर्माण (Project Planning) का कार्य किया जा सकता है। इस संदर्भ में पत्र क्र. 12797/22/वि–9/आर.जी.एम./2005 भोपाल, दिनांक 08.09.05 द्वारा जारी जलग्रहण क्षेत्र विकास की आदेश क्र. 21 के अन्तर्गत जलग्रहण परियोजनाओं में Outcome Planning हेतु एल.एफ.ए. के माध्यम से (Vision / Goal) लक्ष्य निर्धारण कर कार्ययोजना के निर्माण में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग हेतु प्रावधान किया गया है। इस निर्देश के अनुक्रम में जहाँ तक संभव हो सहयोगी दल में शामिल स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्ययोजना के निर्माण का कार्य दिया जाना है। परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा ऐसे गैर शासकीय संस्था/जल विशेषज्ञ को भी कार्ययोजना के निर्माण का कार्य दिया जा सकता है, जो सहयोगी दल शामिल नहीं हो।
- **परियोजना पूर्व मूल्यांकन (Pre-Project Evaluation) :** हरियाली मार्गदर्शिका के अनुरूप स्वीकृत सभी नवीन जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत परियोजना पूर्व मूल्यांकन (Pre-Project Evaluation) कराया जाना है। इसके अन्तर्गत जिले के तहत क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर मिट्टी, पानी तथा वानस्पतिक जैसे संसाधनों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं एवं संसाधनों की बिगड़ी हुई स्थिति से जुड़ी हुई समस्याओं का आकलन किया जायेगा, जिससे उसके आधार पर क्षेत्र चयन एवं रिज–टू–वैली सिद्धांत के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उपचार कार्य प्रस्तावित किये जा सके। परियोजना पूर्व मूल्यांकन (Pre-Project Evaluation) के कार्य हेतु सहयोगी दल में शामिल स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है।
- **मूल्यांकन :** जलग्रहण परियोजनाओं के वर्षवार, मध्यान्ह (Annual & Mid term Project Evaluation) तथा अंतिम मूल्यांकन (End term Evaluation) का कार्य सहयोगी दल में शामिल स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा ऐसे स्वयंसेवी संस्था को भी मूल्यांकन का कार्य दिया जा सकता है, जो सहयोगी दल शामिल नहीं हो। परन्तु मूल्यांकन का कार्य आवंटन स्वयंसेवी संस्थाओं को ऐसे क्षेत्र के लिए नहीं किया जाना है, जहाँ वे परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में कार्य कर रहे हों।
- **प्रशिक्षण एवं सामुदायिक संगठन** : प्रायः यह देखा गया है कि गैर शासकीय संस्था सामुदायिक संगठन के कार्यों में निपुण होते हैं। अतः जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत

प्रशिक्षण एवं सामुदायिक संगठन (Training & community Organisation) के कार्यों में सहयोगी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

- **प्रचार–प्रसार** : सहयोगी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग परियोजना क्षेत्र में प्रचार–प्रसार, एवं वातावरण निर्माण (IEC) के क्षेत्र में भी लिया जा सकता है।

3.4 सौंपे गये दायित्वों हेतु भुगतान

- स्वयंसेवी संस्थाओं को समय–समय पर सौंपे गये कार्यों के निर्वाहन उपरांत प्रत्येक कार्य हेतु पूर्व निर्धारित दरों के मान से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- भुगतान से पूर्व जिला पंचायत द्वारा एन.जी.ओ. के माध्यम से संपादित कार्यों/दायित्वों के परिणाम का मूल्यांकन किया जायेगा। सौंपे गये कार्यों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की पुष्टि के उपरांत एन.जी.ओ. को राशि का भुगतान किया जायेगा।
- एन.जी.ओ. को राशि का भुगतान पी.आई.ए. के प्रशासकीय मद, जिला पंचायत के प्रशासकीय मद, विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की नैमित्तिक मद एवं अन्य मद में उपलब्ध राशि से भुगतान किया जायेगा।

3.5 संबद्ध सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई की बैठक

संबद्ध सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई कलेक्टर (मिशन लीडर) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को रिपोर्ट करेगी एवं उनके अधीनस्थ कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त जलग्रहण प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ संबद्ध सहयोगी स्वयंसेवी संगठन इकाई के सदस्यों की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सहयोगी दल के माध्यम से जलग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा कर आगामी कार्य योजना का निर्धारण किया जायेगा तथा सहयोगी दल द्वारा जलग्रहण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सशक्तिकरण हेतु सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा।

4. **जल विशेषज्ञ समिति (Water Expert Group)** : जलग्रहण प्रकोष्ठ के अंतर्गत जिला स्तरीय जल विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जायेगा। यह समिति जलग्रहण प्रकोष्ठ को विभिन्न कार्यों में सहयोग प्रदान करेगी।

4.1 जल विशेषज्ञ समिति का गठन एवं संरचना

इस समिति में निम्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को शामिल किया जायेगा :

- जल संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय कार्य करने वाले स्थानीय व्यक्ति, सेवानिवृत्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कर्मचारी, पानी रोको समिति के सदस्य एवं पंचायत के सदस्य
- जल संरक्षण व संवर्धन के प्रति सजग एवं सार्थक सोच रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता
- इस समिति में स्थानीय कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं तकनीकी संस्थान आदि के छात्रों को भी शामिल किया जायेगा।

5. मिली वाटरशेड स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन दल (PIA) की संरचना, भूमिका, दायित्व एवं कार्यप्रणाली :

जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक पहलुओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए कृपया मिली वाटरशेड स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन, संरचना, भूमिका एवं कार्यप्रणाली निम्नानुसार सुनिश्चित करें।

5.1 **परियोजना अधिकारी** : परियोजना अधिकारी न्यूनतम द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी होंगे एवं उनके चयन की प्रक्रिया एवं भूमिका पूर्व में जारी आदेश क्र. 02 एवं 05 तथा इन अनुक्रम में जारी तदनतर आदेशों के अनुरूप ही रहेगा। परियोजना क्रियान्वयन दल के सभी सदस्य परियोजना अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करेंगे। परियोजना अधिकारी सभी सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित कर परियोजना का सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे :

- पी.आई.ए. को नेतृत्व एवं मार्गदर्शन देना
- पी.आई.ए. के सभी सदस्यों के कर्तव्यों का निर्धारण
- पी.आई.ए. की ओर से आदेश जारी करना
- जलग्रहण परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण
- तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग एवं मार्गदर्शन
- पी.आई.ए. की बैठक बुलवाना एवं उनको सौंपे गये दायित्वों/कार्यों की प्रगति की समीक्षा
- पी.आई.ए. का वित्तीय प्रबंधन, लेखा एवं रिकॉर्ड का नियमित संधारण तथा वार्षिक लेखा अंकेक्षण
- जिला पंचायत एवं संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना

5.2 **परियोजना क्रियान्वयन दल :** जिस प्रकार जिला स्तर पर जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई में जलग्रहण परियोजनाओं के समस्त सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विषयों पर सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, उसी प्रकार परियोजना क्रियान्वयन दल में भी विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा। इन विशेषज्ञों को विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा। परन्तु जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रत्येक समन्वयक की नियुक्ति के लिए यदि पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो किसी **एक समन्वयक को एक से अधिक समन्वयकों का दायित्व भी सौंपा जा सकता हैं लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है कि परियोजना क्रियान्वयन दल के अन्तर्गत सभी विषयों पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदाय करने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध हों। उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना क्रियान्वयन दल में यथासम्भव कम से कम 01 महिला सदस्य को शामिल किया जाना है।**

5.2.1 **पी.आई.ए. तकनीकी समन्वयक (PIA Technical Coordinator)** : इस पद पर जल संसाधन, सिंचाई, कृषि अथवा वन विभाग के कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी लिये जायेंगे। इनकी प्रमुख भूमिका निम्नानुसार होगी :

- तकनीकी पहलुओं पर सहयोग, मार्गदर्शन एवं सलाह देना।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप (Location Specific) तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त जल संरक्षण व संवर्धन तकनीकों / संरचनाओं की सूची तैयार करना।
- जलग्रहण संरचनाओं की तकनीकी गुणवत्ता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करना।
- परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

5.2.2 **पी.आई.ए. कृषि एवं उद्यानिकी समन्वयक (PIA Agriculture & Horticulture Coordinator)** : इस पद पर कृषि विभाग के कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी लिये जायेंगे। इनकी प्रमुख भूमिका निम्नानुसार होगी :

- उचित फसल चयन, कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, ड्रिप एरीगेशन, जैविक खेती आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करना।

- उद्यानिकी विकास, फलोद्यान, कृषि वानिकी, चारागाह विकास, नर्सरी विकास हेतु आवश्यक तकनीक, संयंत्र, कौशल एवं प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराना।
- परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

5.2.3 पी.आई.ए. सामुदायिक संगठन एवं आजीविका समन्वयक (PIA Community Organisation & Livelihood Coordinator) : इस पद पर महिला एवं बाल विकास, आदिवासी कल्याण विभाग के कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी लिये जायेंगे। इनकी प्रमुख भूमिका निम्नानुसार होगी :

- संसाधनहीन गरीबों एवं महिलाओं को गाँव के स्तर पर वैकल्पिक आय के स्त्रोत प्रदाय करना।
- महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण तथा परियोजना में सतत भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्व–सहायता समूहों का गठन, सशक्तिकरण एवं क्षमता विकास करना।
- बैंकों एवं अन्य योजनाओं से समन्वय करना।
- स्व–सहायता समूहों के गठन एवं सशक्तिकरण के उपरांत संघ की स्थापना करना।
- परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

5.2.4 पी.आई.ए. पशुपालन समन्वयक (PIA Livestock Coordinator) : इस पद पर पशुपालन विभाग के कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी लिये जायेंगे। इनकी प्रमुख भूमिका निम्नानुसार होगी :

- पशुपालन गतिविधियाँ जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन के संबंध में सहयोग व मार्गदर्शन
- नस्ल सुधार एवं उचित नस्ल के चयन के संबंध में सहयोग एवं मार्गदर्शन
- पशु चिकित्सा के संबंध में सहयोग एवं मार्गदर्शन
- परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

5.2.5 पी.आई.ए. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास समन्वयक (Training & Capacity Building Co-ordinator) : इस पद पर महिला एवं बाल विकास तथा आदिवासी कल्याण विभाग के कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी लिये जायेंगे। इनकी प्रमुख भूमिका निम्नानुसार होगी :

- परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय सामुदायिक संगठन के सशक्तिकरण एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण आयोजन करना
- परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

5.2.6 पी.आई.ए. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण समन्वयक (Monitoring, Evaluation & Documentation Co-ordinator) : इस पद पर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के कार्यपालक तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी लिये जायेंगे। इनकी प्रमुख भूमिका निम्नानुसार होगी :

- निर्धारित प्रपत्रों के अनुरूप पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति का अंकेक्षण एवं अनुश्रवण।
- निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्त प्रभावों एवं प्रगति का आकलन करना।

- परियोजना पूर्व एवं वर्षवार निरख–परख की गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- परियोजना के अंतर्गत मध्यान्ह एवं अंतिम मूल्यांकन सुनिश्चित करना।
- विशिष्ट प्रयासों, प्रभावों एवं सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण
- परियोजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

5.2.7 **पी.आई.ए. के एन.जी.ओ. सहायक (Partner NGO) :** इस पद पर जिला स्तर पर सहयोगी दल में शामिल स्वयंसेवी संस्थाओं के किसी एक एन.जी.ओ. प्रतिनिधि के रूप में लिया जायेगा। इनके चयन का निर्णय मिशन लीडर एवं जिला कलेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इनकी प्रमुख भूमिका निम्नानुसार होगी :

- विभिन्न तकनीकी सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सलाह, सहयोग व मार्गदर्शन देना।
- कार्ययोजना के निर्माण (Project Planning) हेतु पी.आई.ए. द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।
- परियोजना पूर्व (Pre-Project Evaluation) हेतु पी.आई.ए. द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।
- निरख–परख के क्रियान्वयन हेतु पी.आई.ए. द्वारा सौंपे गये कार्य का निर्वहन करना।
- प्रशिक्षण एवं सामुदायिक संगठन (Training & community Organisation) के संबंध में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा।
- एन.जी.ओ. सहायक को सौंपे गये कार्यों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की पी. आई.ए. द्वारा पुष्टि के उपरांत पी.आई.ए. के प्रशासकीय मद में उपलब्ध राशि से भुगतान किया जायेगा।

6. सहयोग दल एवं जल विशेषज्ञ समिति के माध्यम से परामर्श एवं जलग्रहण एवं जल संग्रहण परियोजनाओं की गुणवत्ता की जाँच (Consultancy & Quality Monitoring) :

सहयोग दल एवं जल विशेषज्ञ समिति में शामिल सदस्य निम्न क्षेत्रों में जलग्रहण परियोजनाओं एवं अन्य ग्रामीण विकास की योजनाएँ जिनमें जल संग्रहण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में परामर्श देंगे तथा सम्पादित गतिविधियों की गुणवत्ता की जाँच (Consultancy & Quality Monitoring) में सहयोग देंगे। इस हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जल विशेषज्ञों को कार्य का आवंटन कलेक्टर (मिशन लीडर) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

5.1 **गुणवत्ता की जाँच (Quality Monitoring) :** एन.जी.ओ. के सहयोगी दल एवं जल विशेषज्ञ समिति में शामिल सदस्य प्रत्येक 06 माह / प्रत्येक वर्ष जलग्रहण परियोजनाओं का भ्रमण कर सम्पादित भौतिक, वित्तीय एवं सामाजिक गतिविधियों की पूर्व निर्धारित सांकेतकों के आधार पर गुणवत्ता की जाँच (quality monitors) करेंगे। इस मूल्यांकन के अंतर्गत लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस (एल.एफ.ए.) के माध्यम से निर्मित कार्ययोजना (आदेश क्र. 21) में निर्धारित सांकेतकों के विरूद्ध प्रभावों का आकलन किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप कुछ सांकेतक अनुलग्नक – एक पर दर्शाये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामीण विकास की योजनाएँ जिनमें जल संग्रहण एवं संवर्धन की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनके अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जाँच भी एन. जी.ओ. के सहयोगी दल एवं जल विशेषज्ञ समिति में शामिल सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

गुणवत्ता की जाँच (quality monitors) हेतु भुगतान

जल विशेषज्ञ समिति अथवा एन.जी.ओ. द्वारा आवंटित कार्य पूर्ण होने के उपरांत मूल्यांकन प्रतिवेदन जिला पंचायत को सौंपा जायेगा। सौंपे गये कार्यों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण

क्रियान्वयन की पुष्टि के उपरांत जिला पंचायत द्वारा एन.जी.ओ./ जल विशेषज्ञ समिति को पी.आई.ए. के प्रशासकीय मद, जिला पंचायत के प्रशासकीय मद, विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की नैमित्तिक मद एवं अन्य मद में उपलब्ध राशि से भुगतान किया जायेगा।

5.2 परामर्श (Consultancy)

जलग्रहण परियोजनाओं तथा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएँ जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, जिला गरीबी हटाओ योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं आदि के तहत जल संरक्षण व संवर्धन, सूखे से लड़ने की पर्याप्त क्षमता के विकास तथा विभिन्न तकनीकी एवं सामाजिक पहलुओं पर सहयोगी स्वयंसेवी संगठनों की इकाई एवं जल विशेषज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा परामर्श (consultancy) प्रदाय करने हेतु सहयोग लिया जा सकता है। परामर्श दाता का कार्य विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए कलेक्टर द्वारा सहयोगी स्वयंसेवी संगठनों एवं जल विशेषज्ञ समिति को आवंटित किया जायेगा।

7. जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई एवं परियोजना क्रियान्वयन दल के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन

- परियोजना क्रियान्वयन दल व जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई के सदस्य तथा अन्य ग्रामीण विकास की योजनाएँ जिनमें जल संग्रहण एवं संवर्धन का कार्य किया जाता है, उनके पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है।
- प्रशिक्षण के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन दल व जलग्रहण एवं जल संग्रहण प्रकोष्ठ इकाई के सदस्यों को जलग्रहण परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं विभिन्न सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जायेगा तथा अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं के पदाधिकारियों को जल संग्रहण व संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं सामुदायिक पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जायेगा।
- उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक 02 माह में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाना होगा।
- उपरोक्त प्रशिक्षण में जलग्रहण प्रबंधन के विभिन्न तकनीकी एवं सामुदायिक पहलुओं पर जिला स्तरीय स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोगी दल के सदस्यों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की सुचारू आयोजना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन और विविध नियोजन हेतु उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय जलग्रहण प्रकोष्ठ एवं उससे सम्बद्ध सहयोग दल का गठन अत्यंत आवश्यक है। अतः कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी एक माह में इनके गठन एवं क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा गठित जलग्रहण प्रकोष्ठ एवं सहयोग दल की जानकारी संलग्न प्रपत्र में दिनांक 15.11.05 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(वसीम अख्तर)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. शासन